

संख्या-1527 / 111(2)/15-01(गु0म0घो0)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून दिनांक 28 फरवरी, 2015

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय-

गंगा नदी किनारे की की घोषणान्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विभिन्न 07 कार्यों की प्रथम चरण की प्रस्तावकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा द्वारा गंगा नदी किनारे की की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 07 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 20.00 किमी0 + 04 सेतु तथा लागत ₹ 336.97 लाख है, पर टी0ए0पी0 वि० द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 333.99 लाख (तीन करोड़ तैंतीस लाख निम्नयानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्नक के कॉलम सं०-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 07 कार्यों हेतु ₹ 0.70 लाख (सत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की महानहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नज़र रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्विमेंट रूलर्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखापीरंक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

19/8/15

सचिव प्रतिनिधि

सहायक अभियन्ता
गान्धीय खण्ड, लो०वि०विभाग
राजीवेंत

-3-

शासनादेश संख्या- 1527/11(2)/15-01(मु0म0घ0)/2015 दिनांक 8 जनवरी, 2015 का संलग्नक (घनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०एस०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
	2	3	4	5
1	गा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०- 456/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सल्ट में ग्राम अजोली तल्ली में रामगंगा नदी पर झूला पुल का निर्माण।	85 mt	12.05 (₹ 4.25 लाख + ₹ 7.80 लाख उत्तराखण्ड अधिग्रहित निष्ठावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	गा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०- 456/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सल्ट में बसेड़ी नामक स्थान पर रामगंगा नदी पर झूला पुल का निर्माण।	115 mt	14.20 (₹ 5.75 लाख + ₹ 8.45 लाख उत्तराखण्ड अधिग्रहित निष्ठावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	गा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०- 456/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सल्ट में दुगरिया सेरा नामक स्थान पर रामगंगा नदी पर झूला पुल का निर्माण।	100 mt	7.11 (₹ 5.00 लाख + ₹ 2.11 लाख उत्तराखण्ड अधिग्रहित निष्ठावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
4	गा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०- 488/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सल्ट में कैंहड़गांव जगोई से शिव मन्दिर होते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र तक मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण।	2.00 + 90 mt	44.10 (₹ 20.70 लाख + ₹ 23.40 लाख उत्तराखण्ड अधिग्रहित निष्ठावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
5	गा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०- 492/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सल्ट में शहीद हरी सिंह मोटर मार्ग तौलबुधारी से रतखाल तक मोटर मार्ग का निर्माण।	6.00	105.30 (₹ 35.10 लाख + ₹ 70.20 लाख उत्तराखण्ड अधिग्रहित निष्ठावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
6	गा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०- 497/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सल्ट में सिमिलटनोला, आरुसारी विरोद, भीमीटोला हेतु हुए तलाई तक मोटर मार्ग का निर्माण।	6.00	105.30 (₹ 35.10 लाख + ₹ 70.20 लाख उत्तराखण्ड अधिग्रहित निष्ठावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
7	गा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०- 499/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-जगेश्वर में निर्मित दन्या-आरा-सल्टड मोटर मार्ग के ग्राम आरा से बिमछौली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	6.00	45.93 (₹ 35.10 लाख + ₹ 10.83 लाख उत्तराखण्ड अधिग्रहित निष्ठावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
योग-		20.00 + 04 Brdg	333.99	0.70

(कुल ₹ सल्टड हजार मात्र)

सत्य प्रतिकृति

सहायक अभियन्ता
मान्तीय खण्ड, लो०नि०विभाग
रानीखेत

(एस०सी० पंगती)
उप सचिव

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2015 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो भित्तिव्यवस्था की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाधीनक-5054 सड़कों तथा सड़कों पर भूजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सड़कें-02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश विस्तार अनुभाग-2 के अन्तर्गत संख्या-717/XXVII(2)/2014 दि०- 28 फरवरी, 2015 को प्राप्त खनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथापरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या-1527/111(2)/15-01(संयोजक)/2015 तबदिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), आवसाय मोटर्स बिल्डिंग, याजपुर देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोनिवि, अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लोनिवि, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

सत्य प्रतिकृति

सहायक अभियन्ता
बान्तीय खण्ड, लोनिवि विभाग
रावीखेत

आज्ञा से,
(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

Photocopy attested
Sent
(के० के० पांगती)

सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० संवि०